

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल  
आदेश-पत्रिका

विषय: पंजीकृत परियोजना की त्रैमासिक विवरणी संबंधी दिशा निर्देश

कार्यवाही की  
तारीख

12-07-2019

विषयांतर्गत रेरा एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत परियोजनाओं के प्रत्येक 3 माह में, प्रोजेक्ट की प्रगति का प्रतिवेदन, प्राधिकरण को प्रेषित करना आवश्यक है तथा ऐसा न करने पर, प्राधिकरण द्वारा, अ पर पेनल्टी लगाये जाने का प्रावधान है तदपि इस त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के कार्य स्पष्ट समय सीमा तय न होने से, कतिपय आवंटियों पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ सम्प्रवर्तक इसे साफ्टकापी में या हार्डकापी में भेज देते हैं तथा दावा करते हैं कि उन्होंने इसे प्राधिकरण को जमा कर दिया है। जो अभिलेख पंजीयन के समय जो अभिलेख आनलाइन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं व त्रैमासिक विवरणी के आनलाइन माड्यूल में प्राप्त करने की व्यवस्था तथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था है इत्यादि। उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर स्थिति सुस्पष्ट करने तथा तदनुसार सम्प्रवर्तक को अवगत कराने हेतु प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई जिसका प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष व सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में उपरोक्त विषयों पर लिये गया निर्णय/संकल्प संलग्न है।

कृपया तदनुसार वेबसाईट पर इसे प्रदर्शित कराकर, सर्वसंबंधियों के संज्ञान में लाये जाने का अनुरोध है।

  
सचिव

तकनीकी सलाहकार

